

दुरभाष सं. 0141-2742548

राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(4)निम/लेखा/टेका/2021-22/1288

दिनांक: 22.04.2021

जलाशयों को लीज पर देने बाबत ई-नीलामी बोली सूचना 05

राज्य में स्थित "क" श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन जलाशयों (आरक्षित राशि रू. 1298.00 लाख) में वर्ष 2021-22 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट के अधिकार आवंटन हेतु ई-नीलामी बोली द्वारा बोलीयां दिनांक 17.05.2021 को सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। नीलामी बोली संबंधित विस्तृत सूचना एवं शर्तें www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं www.dipronline.org व www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 26.04.2021 से अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड कर सकते हैं तथा ऑनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 17.05.2021 को सांय 6.00 बजे तक अपलोड करवा सकते हैं।

नीलामी बोली से सम्बन्धित सभी अधिकार निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पास सुरक्षित रहेगें।

निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(4)निम/लेखा/ठेका/2021-22/1288

दिनांक: 22.04.2021

मत्स्याखेट हेतु जलाशयों को लीज पर देने बाबत ई-नीलामी बोली सूचना 05

राज्य में स्थित "क" श्रेणी के मत्स्य विभाग के अधीन निम्न जलाशयों में वर्ष 2021-22 से 5 वर्ष के लिये मत्स्याखेट के अधिकार आवंटन हेतु ई-नीलामी बोली द्वारा बोलीयां दिनांक 17.05.2021 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं:-

क. स.	जलाशय का नाम	जिला	आरक्षित राशि (रु. लाखों में)
1	बंध बुचारा	जयपुर	5.00
2	बंध कानोता	जयपुर	90.00
3	बंध छीतौली मय नदी लोअर व अपर	जयपुर	5.00
4	बंध छापरवाडा (दूदू)	जयपुर	12.00
5	बंध सिलिसेढ	अलवर	90.00
6	बंध जयसंमद	अलवर	5.00
7	बंध बरेठा मय नदी काकड़ा	भरतपुर	80.00
8	बंध रेडिया मय नदी मल्लाना तक दौसा-अलवर	दौसा	7.00
9	बंध रायपुर पाटन	सीकर	5.00
10	बंध दीपावास	सीकर	5.00
11	बंध गिलवा मय नदी गिलवा बांध के उपर वाली	टोंक	45.00
12	बंध टोरडी सागर	टोंक	23.00
13	नदी बनास बंध बीसलपुर की ओवरफ्लो के नीचे से गोकर्णेशवर देह को छोडकर ईसरदा पुल (रेलवे पुल) तक	टोंक	35.00
14	बंध श्योदानपुरा तह. उनियारा	टोंक	15.00
15	बंध दाखिया	टोंक	7.00
16	बंध नगरफोर्ट	टोंक	7.00
17	बंध कोठारी स्टेज न. 02 मय नदी डेम से कोटू कोटा तक (माण्डलगढ)	भीलवाडा	160.00
18	बंध जैतपुरा	भीलवाडा	30.00
19	बंध झाडौल	भीलवाडा	35.00
20	बंध रायथलियास	भीलवाडा	15.00
21	बंध अरवड	भीलवाडा	45.00
22	बंध लडकी डैम मय नदी माणक देह जिला राजसंमद-भीलवाडा	भीलवाडा	15.00
23	बंध उम्मेदसागर	भीलवाडा	9.00

24	बंध गोवटाघाटा (माण्डलगढ)	भीलवाडा	20.00
25	बंध नवलपुरा	भीलवाडा	5.00
26	नदी भेडच (उदयपुर- चित्तौडगढ-भीलवाडा)	उदयपुर	13.00
27	बंध साबरमती तह. कोटडा	उदयपुर	5.00
28	बंध स्वरूप सागर रंग सागर पिछौला	उदयपुर	30.00
29	बंध लोडेश्वर	डूंगरपुर	10.00
30	बंध बाबा की बार	डूंगरपुर	5.00
31	बंध मारगिया	डूंगरपुर	6.00
32	बंध बागन (डूंगला)	चित्तौडगढ	95.00
33	बंध गंभीरी मय नदी	चित्तौडगढ	80.00
34	बंध बाडी मानसरोवर	चित्तौडगढ	40.00
35	बंध मोडिया महादेव	चित्तौडगढ	10.00
36	बंध रूपारेल	चित्तौडगढ	9.00
37	बंध डौराई जिला चित्तौडगढ तह. बेंगू	चित्तौडगढ	12.00
38	बंध मुरलिया	चित्तौडगढ	18.00
39	बंध अरनिया	चित्तौडगढ	9.00
40	बंध दहीखेडा	चित्तौडगढ	5.00
41	बंध पाईबालापुरा	बूंदी	10.00
42	बंध अभयपुरा	बूंदी	10.00
43	बंध इन्द्राणी	बूंदी	5.00
44	बंध चन्द्रसरोवर (गावड़ी)	झालावाड	5.00
45	बंध रायपुर मय नदी	पाली	50.00
46	बंध बाबरा	पाली	5.00
47	बंध छोडा	पाली	5.00
48	बंध ओडा मय नदी	सिरोही	10.00
49	बंध ढील टापुर चौथ का बरवाडा	सवाईमाधोपुर	18.00
50	बंध भगवतगढ	सवाईमाधोपुर	16.00
51	बंध पांचोलास	सवाईमाधोपुर	6.00
52	बंध सहरोल तलहटी	बारां	5.00
53	बंध उतावली	बारां	6.00
54	बंध हम्मीर सागर (हम्मीर तालाब) किशनगढ	अजमेर	5.00
55	बंध पारा-प्रथम	अजमेर	5.00
56	बंध लोटियाना	अजमेर	5.00
57	बंध नन्दसमन्द (नमाना)	राजसंमद	15.00

नीलामी बोली शर्तें एवं संबंधित सूचना www.fisheries.rajasthan.gov.in एवं www.dipronline.org व www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 26.04.2021 से अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र www.eproc.raj.gov.in पर दिनांक 26.04.2021 से डाउनलोड कर 17.05.2021 को सांय 6.00 बजे तक अपलोड करवा सकते हैं। ऑनलाईन नीलामी बोली प्रपत्र के साथ अपलोड कराते समय निम्न चालान की स्केन प्रतियां भी अपलोड करवानी होगी। चालान भौतिक रूप से निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर के कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक नहीं है।

क्र. सं.	चालान की राशि (रूपये में)	विवरण जिस बजट मद में चालान बनवाया जाना है:-
1.	500/- (नीलामी बोली प्रपत्र शुल्क प्रत्येक जलाशय के अलग-अलग)	0075-00-800-(52)-[01}
2.	आरक्षित राशि का 10 प्रतिशत (प्रत्येक जलाशय के लिये अलग-अलग)	8443-00-103-00-00 (सिविल विभाग) प्रतिभूति जमा
3.	1000/- (ई-नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क) (प्रत्येक जलाशय के लिये अलग-अलग)	8658-00-102-(16)-[01} विभागीय कोड-33 ऑफिस आई.डी.-396 कार्यालय- निदेशालय मत्स्य विभाग राज. जयपुर

ऑनलाईन तकनीकी नीलामी बोली दिनांक 18.05.2021 को अपरान्ह 11.00 बजे से खोली जावेगी एवं तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की आनलाईन वित्तीय नीलामी बोली खोले जाने की दिनांक की सूचना ऑनलाईन अपलोड कर दी जावेगी।

नीलामी बोली से संबंधित सभी अधिकार निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के पास सुरक्षित रहेंगे।

निदेशक

क्रमांक:— एफ.2(4)निम/लेखा/ढेका/2021—22/1289—1439

दिनांक: 22.04.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य एवं गौपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, पशुपालन, एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि इस नीलामी बोली विज्ञप्ति का प्रकाशन विस्तृत प्रचार हेतु एक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में एवं एक अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्र में तथा एक किसी ट्रेड जनरल में जो नीलामी बोलीयां आमन्त्रित करने की सूचनाओं को प्रकाशित करने की विशेषज्ञता रखता हो, में नीलामी बोली विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का श्रम कराएं एवं विभागीय वेबसाईट पर आपलोड भी करवाने का श्रम करें।
6. मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त राज्यों के निदेशक/आयुक्त, मत्स्य विभाग को भेजकर अनुरोध है कि आपके राज्य के मत्स्य ठेकेदारों को सूचित करने का कष्ट करें।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद,-----को भेजकर लेख है कि आप अपने अधीन समस्त विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नीलामी बोली विज्ञप्ति से सूचित करने का श्रम करें।
9. संयुक्त निदेशक मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक निदेशक मत्स्य योजना/मुख्यालय/सांख्यिकी राजस्थान जयपुर।
11. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य,-----
12. समस्त मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी-----
13. कनिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय मत्स्य राजस्थान जयपुर।
14. रोकड शाखा/भण्डार शाखा/विकास शाखा/संस्थापन शाखा निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
15. नोटिस बोर्ड निदेशालय, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

ई-नीलामी बोली प्रपत्र

नीलामी बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक – 17.05.2021

विषय:- 'क' श्रेणी के जलाशयों के मत्स्याखेट ठेके वर्ष 2021-22 में मत्स्य नियम 1958 व संशोधित नियमों के प्रावधान अनुसार निविदा प्रपत्र।

- 1- बोलीदाता का नाम :- _____

- 2- पिताजी का नाम :- _____
- 3- पेन कार्ड नम्बर :- _____
(पेन कार्ड की प्रति स्केन कर अपलोड करें)
- 4- (1) पत्र व्यवहार का पूर्ण पता मय पिन कोड:- _____

दूरभाष नम्बर - _____
मोबाइल नम्बर- _____
ई मेल आई डी :-
(2) स्थाई पता मय पिन कोड :- _____

- 5- जलाशय का नाम जिसके लिये नीलामी बोली दी जा रही है:-
- 6- संदर्भ:- नीलामी बोली विज्ञप्ति क्रमांक:- एफ.2 (4) निम / लेखा / ठेका / 2021-22 / 1288
दिनांक 22.04.2021
- 7- (1) नीलामी बोली शुल्क रूपये 500/- व ई नीलामी बोली प्रकिया शुल्क रू. 1000/-
राशि की चालान संख्या..... दिनांक.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

8— नीलामी बोली विज्ञप्ति की शर्तोंनुसार जलाशयवार जमा कराये जाने वाली अमानता राशि का विवरण:—

क्र.सं.	जलाशय का नाम	चालान विवरण	क्रमांक	दिनांक	राशि

9— यदि बोलीदाता/कम्पनी/फर्म हैं तो कम्पनी/फर्म का रजिस्टर्ड होने का प्रमाण पत्र मय मेमोरण्डम आफ आर्टिकल/साझेदारी डीड स्केन कर अपलोड करना होगा।

10— निम्न की प्रतियां तकनीकी नीलामी बोली के साथ स्केन कर अपलोड करने होंगे तथा विभाग द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

(1) कम्पनी/फर्म की स्थिति में कम्पनी/फर्म रजिस्टर्ड के प्रपत्र।

(2) कम्पनी/फर्म की स्थिति में मेमोरण्डम आफ आर्टिकल/साझेदारी डीड।

(3) पेन कार्ड।

(4) नीलामी बोली शुल्क, ई प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के ई-ग्रास पर बनाये गये चालान की प्रति। (उक्त दोनो शुल्क एवं अमानता राशि हेतु एक ही चालान बनाया जायेगा)

(5) आधार कार्ड की प्रति/निवासी होने का प्रमाण पत्र।

(6) किसी भी राज्य एवं राजस्थान सरकार में डीबार (प्रतिबन्धित) नहीं किया गया है का स्व प्रमाणित घोषणा का प्रमाण पत्र।

(7) निरस्त चैक/बैंक की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति जिसमें व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम व खाता संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो।

मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4)निम/लेखा/टेका/2021-22/1288 दिनांक 22.04.2021 में वर्णित सभी शर्तें पढ ली है तथा संलग्न शर्तों पर मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है तथा मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग
ई-नीलामी बोली शर्तें वर्ष 2021-22

स्टेजेज बढ़ोतरी आधार पर जलाशयों को मत्स्याखेट हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में ठेकों की नीलामी बोली शर्तें:-

- 1 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग-अलग आरक्षित राशि के आधार पर आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत राशि (जलाशयों के सामने अंकितानुसार) अमानता राशि जमा करानी होगी।
- 2 नीलामी बोली के लिए समय सारणी निम्न प्रकार है:-

ई-नीलामी बोली अवलोकन/डाउनलोड/अपलोड दिनांक से	ई-नीलामी बोली अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	ई-तकनीकी नीलामी बोली खोलने की दिनांक व समय	जलाशय जिनकी नीलामी बोली मांगी जा रही हैं
26.04.2021	17.05.2021 सांय 6.00 बजे तक	18.05.2021 प्रातः 11.00 बजे से	'क' प्रवर्ग के जलाशय (नीलामी बोली प्रपत्र में दिये गये विवरणानुसार)

- 3 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोलीओं के साथ प्रत्येक जलाशय की अलग अलग 10 प्रतिशत अमानता राशि का चालान, नीलामी बोली शुल्क रु. 500/- का चालान एवं ई नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क रु. 1000/- का चालान निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान, जयपुर के नाम से पृ.सं. 7 एवं 8 पर वर्णित प्रक्रिया/सारणी के अनुसार देय होगा। नीलामी बोली प्रपत्र के साथ उक्त चालान की स्कैन प्रतियां अपलोड करनी होगी। अमानता राशि के लिये बैंक एवं डी.डी. मान्य नहीं होंगे एवं नीलामी बोली निरस्त मानी जावेगी। नीलामी बोली प्रपत्र का शुल्क, ई नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि ई-ग्रास पद्धति से ऑनलाईन भुगतान स्वीकार किया जायेगा। उक्त चालान व डिबार (प्रतिबन्धित) नहीं होने का प्रमाण पत्र भौतिक रूप से विभाग में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।
- 4 अमानता राशि यदि कम जमा कराई जाती है तो उस नीलामी बोली पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं नीलामी बोली निरस्त मानी जावेगी।
- 5 बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली आनलाईन दिये गये बी.ओ.क्यू. (B.O.Q.) फारमेट में ही जलाशय वार देनी होगी।
- 6 सभी प्रवर्ग के विनिर्दिष्ट जलाशयों को पहले से विहित प्रक्रिया के अनुसार स्टेजेज बढ़ोतरी के आधार पर सामान्यतः 5 वर्षों की समयावधि के लिए पट्टे पर दिया जा सकेगा। पट्टेदार को प्रतिवर्ष पट्टे धन की संचयी बढ़ती रकम का संदाय करना आवश्यक होगा। ऐसी बढ़ोतरी पूर्ववर्ती वर्ष की पट्टा रकम का 12 प्रतिशत होगी। तदनुसार आगामी वर्ष के लिए बढ़ी हुई पट्टे (लीज) राशि का 1/4 राशि चालू वर्ष की 31 जनवरी तक बढ़ी हुई प्रतिभूति राशि सहित जमा कराई जानी होगी तथा शेष 3/4 पट्टा (लीज) राशि 15 मार्च तक जमा कराई जानी होगी। यदि पट्टेदार उपरोक्त विहित कालावधि के भीतर पट्टा रकम जमा कराने पर असफल रहता है तो पश्चातवर्ती वर्ष के लिए मछली पकड़ने की अनुमति रद्द कर दी जायेगी तथा जलाशय को पुनः ठेके पर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

- 7 बोलीदाता द्वारा दी गई शर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 8 बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
- 9 सफल बोलीदाता को अपनी नीलामी बोली राशि की चौथान राशि (1/4 राशि) निर्देश पर जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानता राशि को जब्त कर लिया जायेगा। शेष 3/4 राशि स्वीकृति जारी होने के 30 दिवस में जमा कराई जाकर कुल नीलामी बोली रकम का साढ़े सात प्रतिशत (7.5) की दर से प्रतिभूति राशि 3/4 राशि के साथ अथवा अनुज्ञापत्र लेते समय जमा करवायी जाकर स्वयं उपस्थित होकर अनुबन्ध कर अनुज्ञापत्र प्राप्त करना होगा। विभाग को देय समस्त राशि निदेशक मत्स्य, राजस्थान जयपुर के नाम देय बैंक ड्राफ्ट/ई-ग्रास पर जनरेट चालान के रूप में ही स्वीकार की जाएगी। बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई जलाशय की अमानता राशि को चौथान राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।
- 10 निदेशक मत्स्य/नीलामी बोली समिति को किसी भी नीलामी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 11 बोलीदाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम, 1953 तथा मीन नियम 1958 व समय समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।
- 12 बोलीदाता को नीलामी बोली में अंकित जलाशयों जैसे बन्ध/नहर/तालाब/नदी आदि में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिए किसी प्रकार का हर्जा या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
- 13 जलाशय में विभागीय परियोजनाएं यथा स्पोर्ट फिशिंग, केज/पैन कल्चर आदि प्रारम्भ की जाने पर बोलीदाता कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा एवं तदनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा।
- 14 बोलीदाता द्वारा जलाशय अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी कारणवश किसी जलाशय पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो नियमानुसार शुल्क जमा कराकर अधिकार पत्र प्राप्त करके सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी/क्षेत्रीय उप निदेशक मत्स्य/निदेशक मत्स्य को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी।
- 15 पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों की ओर से केवल समिति के प्रस्ताव पर मनोनीत सदस्यों को नीलामी बोली देने का अधिकार होगा। इन्हें प्रमाणित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा मांगने पर प्रस्तुत करना होगा इसके बाद ही 5 प्रतिशत कीमत अधिमान् का लाभ देय होगा। कम्पनी/फर्म या अन्य संस्थाओं के मामले में भी संस्था अध्यक्ष/एम.डी./सी.ई.ओ./ई.डी./प्रोपराइटर/पार्टनर आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- 16 अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने पर सम्बन्धित बोलीदाता को जलाशय का मूल अनुज्ञापत्र व समस्त लेबर परमिट तथा पाक्षिक पकडी गई मछली के ब्यौरे वाला प्रपत्र आदि निदेशक मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर को जमा कराने होंगे।
- 17 यदि किसी जलाशय के लिए विशेष नीलामी बोली शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या नीलामी बोली शर्तों में कोई संशोधन/परिवर्धन होगा तो नीलामी बोली खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

- 18 राजस्थान मत्स्य क्षेत्र (संशोधित नियम 1991) के प्रारूप 3 की शर्त संख्या 6 व प्रारूप (3) (1) की शर्त संख्या-8 के अनुसार नीलामी बोलीयां आमंत्रित करके/नीलामी बोली के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिवर्ष जारी किये जाने की तारीख से 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगी।
- 19 सफल बोलीदाता द्वारा चौथान राशि जमा कराने के बाद ही अन्य बोलीदाताओं को धरोहर राशि लौटाई जाएगी।
- 20 नीलामी बोली खोलने के बाद किसी प्रकार की ई मेल/पत्र मान्य नहीं होगा।
- 21 बोलीदाता को नीलामी बोली प्रपत्र में अपना सही पता मय पिन कोड के अंकित करना होगा। संपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादि/सूचना बोलीदाता के पास नहीं पहुंचेगी तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 22 अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ करने व बन्द करने की सूचना पूर्व में ही संबन्धित मत्स्य अधिकारी को लिखित में देनी होगी।
- 23 जलाशय में मत्स्य बीज, खाद आदि का संग्रहण सम्बन्धित मत्स्य विकास अधिकारी से प्रमाणित कराकर उनकी उपस्थिति में किया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मत्स्य बीज संग्रहण ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से केवल दिन के उजाले में ही किया जाएगा। बीज संग्रहण किये जाने की पूर्व सूचना ठेकेदार को संबन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को कम से कम दो दिन पूर्व देनी होगी। संबन्धित अधिकारी से प्रमाणित कराए बिना ठेकेदार द्वारा किया गया मत्स्य बीज संग्रहण मान्य नहीं होगा। जलाशय में मत्स्य बीज संचय करने की अनुमानित संख्या ठेकेदार को अनुबंध/अनुज्ञापत्र जारी करते समय सूचित कर दी जाएगी। अनुमोदित मत्स्य बीज जलाशय में संचय नहीं करने की स्थिति में ठेका/अनुज्ञापत्र निरस्त करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
- 24 चालू वर्ष के ठेके की राशि एवं आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण की राशि मय प्रतिभूति राशि जमा कराने के लिए पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय पर राशि जमा नहीं कराने के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 25 बोलीदाता जिन जलाशयों की दर प्रस्तुत कर रहे हैं वे ई-नीलामी बोली दस्तावेज के वित्तीय बोली के निर्धारित प्रपत्र में ही दर प्रस्तुत करेंगे।
- 26 बिड डोक्यूमेन्ट में 57 जलाशयों की सूची होगी, परन्तु प्रत्येक जलाशय के लिए **BOQ/Price Schedule** पृथक पृथक प्रदर्शित होंगे। बोलीदाता को मत्स्याखेट हेतु लीज पर लिये जाने वाले बंध/जलाशय के लिए पृथक पृथक **BOQ/Price Schedule** में बोली राशि अंकित करनी होगी।
- 27 बोलीदाता नीलामी बोली की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व वित्तीय दरें अपलोड कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 28 बोलीदाता द्वारा जिन जलाशयों की अमानता राशि विभाग में जमा कराई है उन्हीं जलाशयों के लिये मान्य होगी। उक्त जलाशयों के अतिरिक्त अन्य जलाशयों हेतु प्रस्तुत बोली के लिए मान्य नहीं होगी।
- 29 मेरे द्वारा सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गईं और मैं विभाग के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का भाग मानी जाएगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

- 30 निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी नीलामी बोली पत्र में अंकित किया जायेगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 31 स्टाम्प एक्ट के आर्टिकल के तहत पंजीयन शुल्क देय होगा तो उसका भुगतान पट्टेदार को देना होगा।
- 32 नीलामी बोली के पश्चात यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर/सर्विस टैक्स मत्स्याखेट पर आरोपित किया जाता है तो उसे स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अलग से देय होगा।
- 33 जलाशय के प्रभावी जल क्षेत्र का 5 प्रतिशत विभाग/राज्य सरकार से संबंधित कार्यों, आर. एण्ड डी. एवं केज कल्चर के लिए केजेज स्थापित करने का सम्मिलित करते हुए आरक्षित रहेगा।
- 34 मत्स्याखेट हेतु काम में आने वाली नावों का पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित कार्यालय में करवाना आवश्यक है मत्स्याखेट से पूर्व नावों पर नियमानुसार पंजीकरण क्रमांक, चेतावनी एवं मत्स्य ठेकेदार का नाम व ठेका वर्ष नावों पर अंकित कराना आवश्यक है। नाव में सवार होने से पूर्व प्रत्येक नाविक/मछुआरा को सेफटी जैकेट (लाईफ जैकेट) पहनना आवश्यक है।
- 35 समस्त बोलीदाताओं को भारत सरकार, राज सरकार एवं निदेशालय मत्स्य विभाग द्वारा कोविड-19 की पालना हेतु जारी गाईड लाईन के दिशा निर्देशो यथा मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाना, बोलीदाता के साथ केवल एक ही अतिरिक्त व्यक्ति परिसर में आ सकेगा तथा समय-समय पर जारी निर्देशो की पालना करनी होगी।
- 36 समस्त न्यायिक विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
- 37 मत्स्य ठेकेदार/मत्स्य कृषक महाशीर मछली का आखेट नहीं करेगा। यदि मत्स्याखेट के दौरान जाल में कोई महाशीर मछली आ भी जाती है तो उसे तुरन्त जीवित अवस्था में वापस पानी में छोड़ दिया जाएगा।
- 38 यदि कोई मत्स्य ठेकेदार जलाशय में मत्स्याखेट/मछली परिवहन हेतु इंजनयुक्त नावों का प्रयोग करना चाहता है, तो संबंधित परिवहन कार्यालय में इंजनयुक्त नावों का पंजीकरण करवाकर ही प्रयोग करेगा।
- 39 मैंने/हम बोलीदाताओं ने राजकीय मछली ठेकों की नीलामी बोली की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं, तथा मंजूरी के हस्ताक्षर मैंने/हमने अपनी राजी-खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवास में किये हैं तथा मुझे/हमें पूर्ण रूप से सभी शर्तें मान्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

ई-ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया:-

1. अमानत राशि निविदा प्रपत्र में सम्बन्धित जलाशय के सामने दर्शाई गई आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं आर.आई.एस.एल. का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई-ग्रास पद्धति से देय होगी। जिसकी ई-भुगतान रसीद/ई-ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई-निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
 - लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई-निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से **बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443-00-103-00-00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075-00-800-(52)-{01} में एवं ई-प्रोसेसिंग शुल्क (आर.आई.एस.एल.) बजट मद 8658-00-102-(16)-{01}** के अन्तर्गत निदेशक मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर के नाम से जमा की जायेगी।
 - बिडर का ई-ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई-ग्रास पोर्टल पर **New User sign up** से लॉगिन फार्म भरना है।
 - **Login ID Password** प्राप्त करने के पश्चात ई-ग्रास पोर्टल पर **Sign in** करें।
 - चालान जमा करवाने हेतु **Service Challan** का ऑप्शन चयन करें।
 - **Deparment (Directorate Fisheries Department** हेतु विभागीय कोड़ 33 एवं ऑफिस आई.डी.-396) का चयन करें।
 - चालान फार्म में **Period** के option में **onetime** ऑप्शन का चयन करें।
 - **Payment mode** में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की बेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है, उसकी संबंधित बैंक में चालान/कैश जमा कराना होगा। **Manual (offline)** में केश/चेक/डी.डी. द्वारा संबंधित बैंक को भुगतान करने का ऑप्शन उपलब्ध है। विस्तृत प्रक्रिया ई-ग्रास पोर्टल (<https:egrass.raj.nic.in>) पर **User Manual** में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई-ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141-5111007, 5111010 पर संपर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।
2. निविदा शुल्क/अमानत राशि/आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात् निदेशालय मत्स्य विभाग, जयपुर में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाईन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज मान्य होंगे।

<p>अमानत निविदा एवं शुल्क कराने प्रक्रिया</p> <p>राशि, शुल्क प्रोसेसिंग जमा की</p>	<p>वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प6(5)/साविलेनि/2018/ जयपुर दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑनलाईन ई-ग्रास के माध्यम से चालान बनाने हेतु बजट मद :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>निविदा शुल्क -0075-00-800-(52)-{01}</u> 2. <u>अमानत राशि - 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा (सिविल विभाग)</u> 3. <u>प्रोसेसिंग शुल्क - 8658-00-102-(16)-{01}</u> <p><u>विभागीय कोड-33</u> <u>ऑफिस आई.डी.- 396</u> <u>कार्यालय- निदेशालय मत्स्य विभाग राज. जयपुर</u></p>
--	---

Self Attested Declaration

1. The undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct.
2. The undersigned do hereby certifies that neither my/firm/company/individuals _____ nor any of its constituents partners have abandoned any project work in India nor any contract awarded to us for such works have been rescinded during the last 2 years prior to the date of this bid.
3. The undersigned here by authorized(s) and request(s) any bank/person/firm or corporation to furnish pertinent information as deemed necessary and as requested by the department to verify the statement or regarding my (our) competency or general reputation.
4. The undersigned understands and agrees that further qualifying information may be requested and agreed to furnish any such information at the request of department.
5. The undersigned do hereby certifies that neither my firm/company/individuals have not been debar by any organisation during last 2 years.

(Signature of the Bidder)
Name of the Firm
Date.

राजस्थान सरकार
मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2021-22 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के जलाशयों हेतु

नीलामी बोली के साथ संलग्न पत्रों/दस्तावेजों की स्केन प्रतियां :-

क्र.सं.	दस्तावेजों का विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	कम्पनी/फर्म की स्थिति में कम्पनी/फर्म रजिस्टर्ड के प्रपत्र।	
2.	कम्पनी/फर्म की स्थिति में मेमोरण्डम आफ आर्टिकल/साझेदारी डीड।	
3.	पेन कार्ड की प्रति।	
4.	आधार कार्ड की प्रति/निवासी होने का प्रमाण पत्र।	
5.	नीलामी बोली शुल्क, ई-नीलामी बोली प्रक्रिया शुल्क एवं अमानता राशि के चालान की प्रति।	
6.	किसी भी राज्य एवं राजस्थान सरकार में डीबार (प्रतिबन्धित) नहीं किया गया है, का स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र।	
7.	निरस्त चैक/पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति जिसमें व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम व खाता संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो।	
8.	अन्य दस्तावेज यदि कोई हो।	

बोलीदाता के हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

मत्स्य विभाग

मत्स्याखेट वर्ष 2021-22 में राजस्थान मीन नियम 1958 के संशोधित नियम वर्ष 1997 एवं वर्ष 2003 के नियम 5 (1) (ड.) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट 'क' श्रेणी के जलाशयों हेतु

आरक्षित राशि एवं अमानता राशि की तालिका:-

क्र. सं.	जलाशय का नाम	जिला	वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित आरक्षित राशि (लाख रुपये में)	अमानता राशि जो जमा की जानी है (रुपयो में)
1	बंध बुचारा	जयपुर	5.00	50000
2	बंध कानोता	जयपुर	90.00	900000
3	बंध छीतौली मय नदी लोअर व अपर	जयपुर	5.00	50000
4	बंध छापरवाडा (दूदू)	जयपुर	12.00	120000
5	बंध सिलिसेढ़	अलवर	90.00	900000
6	बंध जयसंमद	अलवर	5.00	50000
7	बंध बरेठा मय नदी काकड़ा	भरतपुर	80.00	800000
8	बंध रेडिया मय नदी मल्लाना तक दौसा-अलवर	दौसा	7.00	70000
9	बंध रायपुर पाटन	सीकर	5.00	50000
10	बंध दीपावास	सीकर	5.00	50000
11	बंध गिलवा मय नदी गिलवा बांध के उपर वाली	टोंक	45.00	450000
12	बंध टोरडी सागर	टोंक	23.00	230000
13	नदी बनास बंध बीसलपुर की ओवरफ्लो के नीचे से गोकर्णेशवर देह को छोडकर ईसरदा पुल (रेलवे पुल) तक	टोंक	35.00	350000
14	बंध श्योदानपुरा तह. उनियारा	टोंक	15.00	150000
15	बंध दाखिया	टोंक	7.00	70000
16	बंध नगरफोर्ट	टोंक	7.00	70000
17	बंध कोठारी स्टेज न. 02 मय नदी डेम से कोटू कोटा तक (माण्डलगढ़)	भीलवाडा	160.00	1600000
18	बंध जैतपुरा	भीलवाडा	30.00	300000
19	बंध झाडौल	भीलवाडा	35.00	350000
20	बंध रायथलियास	भीलवाडा	15.00	150000

21	बंध अरवड़	भीलवाडा	45.00	450000
22	बंध लड़की डैम मय नदी माणक देह जिला राजसंमद-भीलवाडा	भीलवाडा	15.00	150000
23	बंध उम्मेदसागर	भीलवाडा	9.00	90000
24	बंध गोवटाघाटा (माण्डलगढ)	भीलवाडा	20.00	200000
25	बंध नवलपुरा	भीलवाडा	5.00	50000
26	नदी भेडच (उदयपुर-चित्तौडगढ-भीलवाडा)	उदयपुर	13.00	130000
27	बंध साबरमती तह. कोटडा	उदयपुर	5.00	50000
28	बंध स्वरूप सागर रंग सागर पिछौला	उदयपुर	30.00	300000
29	बंध लोडेश्वर	डूंगरपुर	10.00	100000
30	बंध बाबा की बार	डूंगरपुर	5.00	50000
31	बंध मारगिया	डूंगरपुर	6.00	60000
32	बंध बागन (डूंगला)	चित्तौडगढ	95.00	950000
33	बंध गंभीरी मय नदी	चित्तौडगढ	80.00	800000
34	बंध बाडी मानसरोवर	चित्तौडगढ	40.00	400000
35	बंध मोडिया महादेव	चित्तौडगढ	10.00	100000
36	बंध रूपारेल	चित्तौडगढ	9.00	90000
37	बंध डौराई जिला चित्तौडगढ तह. बेंगू	चित्तौडगढ	12.00	120000
38	बंध मुरलिया	चित्तौडगढ	18.00	180000
39	बंध अरनिया	चित्तौडगढ	9.00	90000
40	बंध दहीखेडा	चित्तौडगढ	5.00	50000
41	बंध पाईबालापुरा	बूंदी	10.00	100000
42	बंध अभयपुरा	बूंदी	10.00	100000
43	बंध इन्द्राणी	बूंदी	5.00	50000
44	बंध चन्द्रसरोवर (गावड़ी)	झालावाड	5.00	50000
45	बंध रायपुर मय नदी	पाली	50.00	500000
46	बंध बाबरा	पाली	5.00	50000
47	बंध छोडा	पाली	5.00	50000
48	बंध ओडा मय नदी	सिरोही	10.00	100000
49	बंध ढील टापुर चौथ का बरवाडा	सवाईमाधोपुर	18.00	180000
50	बंध भगवतगढ	सवाईमाधोपुर	16.00	160000
51	बंध पांचोलास	सवाईमाधोपुर	6.00	60000
52	बंध सहरोल तलहटी	बारां	5.00	50000
53	बंध उतावली	बारां	6.00	60000
54	बंध हम्मीर सागर (हम्मीर तालाब) किशनगढ	अजमेर	5.00	50000
55	बंध पारा-प्रथम	अजमेर	5.00	50000
56	बंध लोटियाना	अजमेर	5.00	50000
57	बंध नन्दसमन्द (नमाना)	राजसंमद	15.00	150000